

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत, जिला चम्पावत।

आदेश संख्या: 41/2025, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2025

सिविल जज (सी0डी0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत के दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 से आगामी 06 माह तक मातृत्व अवकाश पर रहने के दृष्टिगत जिला मुख्यालय चम्पावत में रिमाण्ड, बेल व आवश्यक कार्य के निष्पादन हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या: 31/2025, दिनांक 22 जुलाई, 2025 को संशोधित करते हुए, माह नवम्बर में अवकाश के दिनों में रिमाण्ड, बेल व आवश्यक कार्य के निष्पादन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा।

तदनुसार सम्बन्धित सूचित हो।

दिनांक 31.10.2025

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चम्पावत, जिला चम्पावत।

पत्रांक : 459/2025, कार्यालय सी0जे0एम0 चम्पावत, दिनांक अक्टूबर 31, 2025

प्रतिलिपि:- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, चम्पावत को सादर अवलोकनार्थ व निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, चम्पावत को समस्त पुलिस थानों को सूचित करने हेतु।
3. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चम्पावत।
4. अधीक्षक जिला कारागार अल्मोड़ा एवं प्रभारी न्यायिक बंदीगृह लोहाघाट।
5. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन चम्पावत व टनकपुर।
6. सिस्टम ऑफिसर जिला जजी चम्पावत को वेबसाइट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट से सम्बन्धित लिंक पर अपलोड करने हेतु।
07. गार्ड फाइल।

दिनांक 31.10.2025

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।